11/10/2[illegible] पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में परिवादी के
आवेदन किया जाकर [illegible] किया जाकर
निस्तारित [illegible] के निस्तारण [illegible]
पत्रावली [illegible] [illegible] प्रकरण [illegible]
[illegible] के बाद [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

... / न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
... / 25	128 एलआर एक्ट	05.06.2025	

उनवान

1. रामफल पुत्र भैरोलाल
2. रामसहाय पुत्र छोटे
3. परसराम पुत्र छोटे
4. दिनेश पुत्र प्रहलाद
5. चेतराम पुत्र प्रहलाद
6. प्रेम पत्नि स्व0 प्रहलाद
7. उषा पुत्री बृजलाल
8. मीरा पुत्री छोटे
9. परसादी पुत्री भबूती

सभी जाति मीना निवासी लोहर्रा तहसील व जिला करौली (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जिला वन अधिकारी उप वन संरक्षक तहसील व जिला करौली (राज0)
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील करौली (राज0)

–अप्रार्थीगण

...भिभाषकः– 1. प्रार्थीयान–श्री हेमराज सैनी, एडवोकेट

–::**निर्णय**::– दिनांकः– 16/10/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नं. 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 2801/2 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा एवं प्रार्थी नंबर 2 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की खसरा नंबर 2801/3 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा एवं प्रार्थी नं. 9 के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2801/1 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वांके ग्राम लौहर्रा पटवार हल्का लौहर्रा तहसील व जिला करौली में स्थित है जिसको प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी से लगी हुई व दिशा पश्चिम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 2804 रकबा 52 बीघा 5 ... वांके ग्राम लौहर्रा में लगी हुई है। कुछ दिनों से अप्रार्थी नंबर ... पर आकर यह कहते कि आपके खेतों में हमारी वन विभाग ... दो नही तो हम तुम्हारी आराजीयात की मेडबंदी को फैलाकर खुर्द–बुर्द कर देंगे अ... तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे। प्रार्थीगण ने कहा यह जमीन तो व वर्षों से हमारी है तो अप्रार्थी ने कहा कि अब हमारी है। मना करते है तो जमीन को खुर्द–बुर्द करने तथा जमीन से बेदखल करने की धमकी करते है। जिससे आये दिन सीमा विवाद पैदा करते है तथा प्रार्थीगण को शांतपूर्वक काश्त नहीं करते देते है। सीमा पर विवाद पैदा करते रहते है। अप्रार्थीगण सहजोर, ताकतवर व्यक्ति है। आये दिन प्रार्थीगण को परेशान करते रहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.04.20 17:28:32 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी
...(राज...)

तथा अनावश्यक सीमा विवाद उत्पन्न कर देते है। दिनांक 28.05.2025 को भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मेडों को फैला दिया मना किया तो झगडे पर आमदा हो गये। इसलिये प्रार्थीगन अपनी आराजीयात खसरा नंबर 2801/2 व 2801/3 व 2801/1 का सीमाज्ञान कराने के मुस्तकिल बिन्दुओं से कराकर पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। जिससे अनावश्यक सीमा विवाद उत्पन्न ना हो। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। पत्रावली में प्रार्थी एक तरफा बहस सुनी गई।

प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि आराजीयात खसरा नंबर 2801/2 व 2801/3 व 2801/1 वांके ग्राम लौहर्रा पटवार हल्का लौहर्रा तहसील व जिला करौली का सीमाज्ञान कराने के मुस्तकिल बिन्दुओं से कराकर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं बहस का मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी भूमि के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण न्यायहित में स्वीकार योग्य प्राप्त होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांके ग्राम लौहर्रा पटवार हल्का लौहर्रा तहसील व जिला करौली में उसके खाते की कृषि भूमि के आराजी खसरा नंबर 2801/2 रकबा 12 बीघा 14, खसरा नंबर 2801/3 रकबा 12 बीघा 14 एवं खसरा नंबर 2801/1 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वांके ग्राम लौहर्रा पटवार हल्का लौहर्रा तहसील व जिला करौली भूमि की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1000/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली समी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:32 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)